B.A. PART IV
DEPT of Pol. Sci.
DR. RAHUL KR PASWAN

⇒ LEGISLATURE

कानूनों को भी जन्म देती है। विधि निर्माण के अंतर्गत व्यवस्थापिका निम्न तीन कार्य करती है
(क) विधेयकों का प्रारूप तैयार करना,
(ख) विधेयकों पर विचार-विमर्श करना
(ग) विधेयकों को पारित करना।

जहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, वहाँ कानून निर्माण में व्यवस्थापिका की अपेक्षा कार्यपालिका का प्रत्यक्ष हाथ रहता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में यद्यपि कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण में भाग नहीं लेती, फिर भी वह विधायी प्रक्रिया को प्रभावित करती है।

(ii) कार्यपालिका पर नियंत्रण (Control over executive) –

व्यवस्थापिका का एक प्रमुख कार्य कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना है। व्यवस्थापिका के अंतर्गत जनता के चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं अतः लोकतांत्रिक पद्धति में कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण आवश्यक है।

संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास कर उसे अपदस्थ कर सकती है और प्रश्न पूछकर, 'काम रोको प्रस्ताव' पास कर तथा 'निंदा का प्रस्ताव' पास कर कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकती है।

(iii) विमर्शात्मक कार्य (Deliberative functions) –

विधि-निर्माण तथा कार्यपालिका के नियंत्रण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त, व्यवस्थापिका विचार-विमर्श का भी कार्य करती है। व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य विचार-विमर्श तथा वाद-विवाद करना है। अंग्रेजी का 'Parliament' शब्द (व्यवस्थापिका या संसद) फ्रांसीसी शब्द 'Parliamo' से बना है जिसका अर्थ वाद-विवाद और विचार-विमर्श करने के लिए एक सभा की बैठक है।

निःसंदेह, व्यवस्थापिका एक ऐसा स्थान है, जहाँ राज्य की सामान्य नीतियों, लक्ष्यों,

विभिन्न इत्यादि पर विचार-विमर्श एवं वाद-विवाद होता है इसमें शासन सम्बन्धी सभी बातों पर विचार कर आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं। इन उपायों से जहाँ व्यवस्थापिका अपने देश के विभिन्न हितों में सामंजस्य लाने का प्रयास करती है व्यवस्थापिका के अन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक समस्याओं एवं प्रश्नों पर विचार-विमर्श होता रहता है।

(iv) आर्थिक कार्य (~~Finacial~~ Financial Functions) -

विधानमंडल का कार्य केवल कानून बनाना तथा विचार विमर्श करना ही नहीं, वरन् राष्ट्र की आय व्यय पर भी नियंत्रण रखना है। व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बिना सरकार न तो किसी प्रकार का आय कर लगा सकती है और न किसी प्रकार का व्यय ही लगा सकती है। सरकार के आय-व्यय का वार्षिक विवरण बजट के रूप में व्यवस्थापिका के सम्मुख पेश किया जाता है, अर्थात् व्यवस्थापिका ही राष्ट्र का बजट पारित करती है। व्यवस्थापिका राष्ट्रीय कोष को नियंत्रित करती है और इस प्रकार देश के प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

(v) प्रशासकीय कार्य (Administrative Functions) -

अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में प्रशासकीय कार्यों के संपादन की जिम्मेदारी कार्यपालिका पर होती है और व्यवस्थापिका इन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, परन्तु संसदीय व्यवस्थाओं में कार्यपालिका के ऊपर व्यवस्थापिका का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है। संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है और उसका अस्तित्व तभी तक कायम रहता है, जब तक व्यवस्थापिका का विश्वास उस पर टिका रहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जितनी भी नियुक्तियां या अन्तर्राष्ट्रीय संधियां

सम्पादित करती है, उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सीनेट का अनुमोदन आवश्यक है। डॉ. जौहरी का कहना है कि "व्यवस्थापिका का वास्तविक कार्य यह देखना है कि कार्यपालिका अपना काम ठीक ढंग से करती है या नहीं"।

(VII) निर्वाचन संबंधी कार्य (Election functions)-

विश्व के बहुत से देशों में व्यवस्थापिका निर्वाचन संबंधी कार्यों का भी संपादन करती है। उदाहरण के लिए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव केन्द्र तथा राज्यों की व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा होता है।

(VIII) संशोधन संबंधी कार्य (Amending functions)-

अनेक देशों में संविधान के संशोधन कार्य में व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसे संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने तथा पारित करने का अधिकार है। इंग्लैंड में संविधान के अंतर्गत कोई भी संशोधन संसद के अधिनियम द्वारा लाया जा सकता है। अमेरिकी कांग्रेस को भी संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार है।

(IX) वैदेशिक मामलों से संबद्ध कार्य (Functions relating to foreign affairs)- व्यवस्थापिका को विदेशों से संबद्ध अनेक कार्य करने पड़ते हैं। विदेशों के साथ पारस्परिक संबंधों का निर्धारण, युद्ध एवं शांति की घोषणा तथा विभिन्न संधियों का संपादन यद्यपि कार्यपालिका द्वारा होता है, तथापि जब तक व्यवस्थापिका इन्हें अनुमोदित नहीं करती, तब तक इन्हें लागू नहीं किया जा सकता।

DR. RAHUL KR PASWAN
DEPT OF POL. SCI